निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–372/2013
दायरा दिनांक :–02.02.2010
निर्णय दिनांक :– 30.12.22

उनवान

बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति किराड़ निवासी ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील बारां जिला बारां
–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0)
–प्रतिवादीगण

दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं53 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30.12.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री हरिओम चतुर्वेदी एड0– वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91एवं 53 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किवाके माल ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील बारां के खेवट खतौनी सं0 386 के खसरा नं0 774/635 क्षैत्रफल 2.0000 हे0 आराजी का संयुक्त कृषक उक्त आराजी को वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के रूप में सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी राज0 भूदान यज्ञ बोर्ड ने अपने खाते की 104.1000 हे0 आराजी में से वादी को दिनांक 02.06.1986 को आंवटन हुई थी। आंवटन उपरान्त से वादी विवादित आराजी पर कृषक के रूप में निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। राज0 भू दान बोर्ड द्वारा वादी को आवंटित विवादित आराजी पर वादी को समित अधिकार प्राप्त थे। राजस्थान भू–दान यज्ञ अधिनियम 2008 के तहत उक्त विवादित आराजी राजस्थान सरकार में निहित हो गई एवं भू धारक को खातेदार सरकार के समस्त अधिकार एवं दायित्वों के अधिकार प्रदान दिए। वादी आवंटन उपरान्त से विवादित आराजी पर आंवटन शर्तों अनुसार निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी पूर्ण खातेदार कृषक हो गया है। वादी पूर्ण खातेदार कृषक होने की विधिक प्रास्तिथिकी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। खेवट खतौनी सं0 386 के खाते में वादी के खाते के खसरा नं0 774/635 है जो संयुक्त खाते दर्ज है। वादी विवादित आराजी का विधिवत विभाजन कर अपना खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक करवाने का अधिकारी है। वादी ने विवादित आराजी को अपने नाम खाते दर्ज करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.08 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

अपने अधिवक्ता से धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिनांक 26.08.2009 राजस्थान सरकार को प्रेषित करवाया, प्रतिवादी ने नोटिस का न तो जवाब दिया और न ही आज दिनांक 04.12.2009 तक पालना की। वाद कारण दिनांक 25.10.2009 तक प्रतिवादी द्वारा नोटिस की पालना नहीं करने पर तहसील क्षेत्र बारां में उत्पन्न हुआ है।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सूण्डा सम्वत् 2063–2066 खाता सं0 386, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम कोटडी सूण्डा, नकल नक्शा ट्रेस, फोटो प्रति राजस्थान भूदान यज्ञ, बोर्ड का प्रमाण पत्र दिनांक 21.06.88 पेश किया गया।

तहसीलदार पेरोकार सरकार द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया कि पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार वादी बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति किराड निवासी कोटडी सूण्डा द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 53 आर0टी0एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम कोटडीसूण्डा के खसरा नं0 774/635 रकबा 2.00 हे0 का विधिवत विभाजन करवा कर अपना खाता राजस्व रिकार्ड में पृथक से दर्ज करवाने का वाद प्रस्तुत किया है। ग्राम कोटडी सूण्डा वर्तमान खाता स0 418 खसरा नं0 635 रकबा 72.10 हे0, खसरा नं0 764/635 रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0 765/635 रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0 766/635 रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0 767/635 रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0 768/635 रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0 769/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 770/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 771/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 772/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 773/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 774/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 775/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 776/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 777/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 778/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 779/635 रकबा 2.00 हे0, कुल किता 17 रकबा 104.10 हे0 में वादी बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति किराड निवासी कोटडीसूण्डा का हिस्सा 1/16 गैरखातेदार अ.वि.व. भूदान यज्ञ बोर्ड लेण्ड होल्डर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी के साथ अन्य 15 गैर खातेदार भी प्रत्येक का हिस्सा 1/16 राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार अ.वि.व. भूदान यज्ञ बोर्ड लेण्ड होल्डर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्तमान में मौके पर वादी बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति किराड निवासी कोटडी सूण्डा काबिज काश्त है। वादी बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति किराड निवासी कोटडी सूण्डा द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में बिन्दु सं0 3 में समस्त खातेदारी अधिकार प्रधान किये जाने का विवरण दिया है। जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी गैर खातेदारी दर्ज है। साथ ही लेण्ड होल्डर भू–दान यज्ञ बोर्ड दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:24 IST
Reason: SelfAttested
उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील बारां में स्थित है। विवादित आराजी भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा अपने खाते की आराजी 104.100 हे0 में से वादी को दिनांक 02.06.1986 को आवंटन हुई थी। आवंटन के बाद से विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा वादी को आंवटित आराजी पर वादी को सीमित अधिकार प्राप्त थे। भूदान यज्ञ अधिनियम 2008 के तहत विवादित आराजी राज्य सरकार में निहित हो गई। भूमि धारक को खातेदार सरकार के समस्त अधिकार एवं दायित्वों के अधिकार प्रदान किये। भूमि के आवंटन के बाद से विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का वाद स्वीकार कर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन
किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कोटडी सूण्डा सम्वत् 2063–2066 खाता सं0 386 में
भूदान यज्ञ बोर्ड बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति किराड व अन्य का नाम दर्ज होना पाया
जाता है। नकल खसरा गिरदावरी ग्राम कोटडीसूण्डा खसरा नं0 774/635 रकबा 2.00 हे0
पर वादी का कब्जा काश्त होना दर्ज है। वादी के वाद पत्र में खसरा नं0 774/635 रकबा 2.
00 हे0 भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार बारां से ली गई। तहसीलदार बारां ने बताया
कि बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति किराडकिराड निवासी कोटडी सूण्डा द्वारा दावा अन्तर्गत
धारा 88, 89, 91 व 53 आर0टी0एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम कोटडीसूण्डा के खसरा
नं0 774/635 रकबा 2.00 हे0 का विधिवत विभाजन करवा कर अपना खाता राजस्व रिकार्ड
में पृथक से दर्ज करवाने का वाद प्रस्तुत किया है। ग्राम कोटडी सूण्डा वर्तमान खाता स0 418
खसरा नं0 635 रकबा 72.10 हे0, खसरा नं0 764/635 रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0
765/635 रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0 766/635 रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0 767/635
रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0 768/635 रकबा 2.00 हे0, खसरा नं0 769/635 रकबा 2.00
हे0,खसरा नं0 770/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 771/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0
772/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 773/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 774/635 रकबा
2.00 हे0,खसरा नं0 775/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 776/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा
नं0 777/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 778/635 रकबा 2.00 हे0,खसरा नं0 779/635
रकबा 2.00 हे0, कुल किता 17 रकबा 104.10 हे0 में वादी बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति
किराड निवासी कोटडीसूण्डा का हिस्सा 1/16 गैरखातेदार अ.वि.व. भूदान यज्ञ बोर्ड लेण्ड
होल्डर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी के साथ [illegible] गैर खातेदार भी प्रत्येक का हिस्सा
1/16 राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार अ.वि.व. भूदान यज्ञ बोर्ड लेण्ड होल्डर राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

है। वर्तमान में मौके पर वादी बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति किराड निवासी कोटडी सूण्डा काबिज काश्त है। वादी बाबूलाल पुत्र किशनलाल जाति किराड निवासी कोटडी सूण्डा द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में बिन्दु सं0 3 में समस्त खातेदारी अधिकार प्रधान किये जाने का विवरण दिया है। जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी गैर खातेदारी दर्ज है। साथ ही लेण्ड होल्डर भू–दान यज्ञ बोर्ड दर्ज है। इससे यह साबित होता है। कि विवादित आराजी वादी के गैर खातेदारी में दर्ज है।गैर खातेदारी से खातेदारी देने हेतु पूर्व से नियम बने हुए है। वादी का वाद तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के आधार पर आंशिक स्वीकार कर गैर खातेदारी से खातेदारी देने में तहसीलदार स्वयं सक्षम होने के कारण खातेदारी अधिकार देने हेतु तहसीलदार बारां को निर्देश दिया जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्रामकोटडीसूण्डा तहसील बारां के खसरा नं0 774/635 रकबा 2.00 हे0 भूमि वादी गैर खातेदारी में दर्ज होने के कारण तहसीलदार बारां गैर खातेदारी से खातेदारी देने संबंधी प्रकरणो के निस्तारण में स्वयं सक्षम है। अतः तहसीलदार बारां प्रकरण में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.03 17:21:24 IST
Reason: SelfAttested